राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद्

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

National Council for Promotion of Urdu Language

Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education,
Government of India

اردو کتاب میلہ

(उर्दू किताब मेला)

7 ता 15 अक्टूबर 2017

मुक़ाम : रूई धासा मैदान, किशनगंज (बिहार)

शिरकत के लिए फार्म

बराहे करम इस फार्म को पुर करके मय किराये की कुल रक़म बज़रिया ड्राफ्ट, National Council for Promotion of Urdu Language, New Delhi के नाम इरसाल कर दें।

1. शिरकत कुनिंदा का नाम..

2. पूरा पता..

फोन.........................फैक्स.....................ई–मेल...............................

3. मतलूबा जगह (सिर्फ एक या दो स्टॉल):......(मुश्तरका स्टाल के लिए फार्म कुबूल नहीं किए जायेंगे और न किसी दूसरे स्टॉल के मुत्तिसल जगह दिया जाएगा)

4- ड्राफ्ट की तफ़सीलातः नम्बर व तारीख़...................रक़म....................

बैंक का नाम..

5- कतबा जो स्टाल के बोर्ड पर लिखा जाना है....................................

हम ने इस मेले में शिरकत करने की सारी शराएत पढ़ लीं हैं और हमें यह तमाम शराएत मन्जूर हैं।

उम्मीदवार के दस्तख़त   जगह

ओहदा   तारीख़

मोहर

राबते के लिए रुजुअ फरमायेंः

Incharge Sales & Exhibition

National Council For Promotion of Urdu Language

Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
Government of India

West Block - 8, Wing - 7, R. K. Puram, New Delhi - 110066

Ph. No. 26109746, Fax : 26108159, E-mail : ncpulsaleunit@gmail.com

किताबें माज़ी का आसासा, हाल का सरमाया और मुस्तक़बिल की असास हैं।

आईन–ए–हिन्द के आठवें शिड्यूल में उर्दू बहैसियत क़ौमी ज़बान शामिल है। सेंसस रिपोर्ट 2001 के मुताबिक़ साढ़े चार करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानियों की मादरी ज़बान उर्दू है। लेकिन इस ज़बान को बोलने और समझने वाले हिंदुस्तानियों की तादाद करोड़ों में है। ये करोड़ों लोग उर्दू ज़बान–व–सक़ाफ़त से वाक़िफ़ होना और उर्दू अदब को पढ़ना चाहते हैं। लेकिन उर्दू की किताबों तक उनकी रिसाई अमूमन नहीं हो पाती। क़ौमी उर्दू काउन्सिल का एक बड़ा मंसूबा है कि उर्दू की मेएयारी किताबें मुल्क के तोल व अर्ज़ में मोहैया कराई जाएं।

आपके अमली तआवुन की बदौलत क़ौमी उर्दू काउन्सिल ने लाल किला के मैदान में उर्दू का पहला और दूसरा कुल हिन्द उर्दू किताब मेला बिल्तरतीब नवम्बर 2000 और 2001 में मुनअक़िद किया। यह मेले अपनी कामयाबी के बाइस उर्दू नश्रो इशाअत की तारीख़ के नुमायाँ संगमील बन गये। तीसरा, पांचवां, दसवां और तैरवाह कुल हिन्द उर्दू किताब मेला सनअती राजधानी मुम्बई में बिल्तरतीब जनवरी 2003, 2004, 2009 और 2012 में मुनअक़िद हुआ। चौथा कुल हिन्द उर्दू किताब मेला सितम्बर 2003 श्रीनगर में मुनअक़िद करके काउन्सिल ने एक नई मिसाल क़ायम की। छठा कुल हिन्द उर्दू किताब मेला दिसम्बर 2004 हैदराबाद में और ग्यारहवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला मार्च 2010 में हैदराबाद में, आठवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला दिसम्बर 2006 कोलकाता में, नवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला नवम्बर 2007 पटना में, बारहवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला मार्च/अप्रैल 2011 में दिल्ली में, सातवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला दिसम्बर 2005 में और चौदवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला नवम्बर 2012, लखनऊ में, पन्द्रहवां कुल हिन्द उर्दू किताब मेला बंगलौर में, जनवरी 2014 में सौलहवां उर्दू किताब मेला मालेगांव में और 27 दिसंबर 2014 से 4 जनवरी 2015 में सतरहवां उर्दू किताब मेला औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कामयाबी के साथ मुनअक़िद करने के बाद अठारहवां उर्दू किताब मेला 14 ता 22 नवंबर 2015 को दिल्ली में और उन्नीसवां उर्दू किताब मेला 12 ता 20 दिसंबर 2015 को हैदराबाद में मुनअक़िद किया गया है। 2016 का मेला भिवंडी में 17 ता 25 दिसम्बर मुन्अ़क़िद होने के बाद अगला मेला 7–15 अक्टूबर 2017 में किशनगंज, बिहार में होने जा रहा है।

हमें तवक्क़ो है कि इस किताब मेले के तवस्सुत से उर्दू के कुतुब फ़रोशों, नाशिरों, मुसन्निफ़ों और लाईब्रेरियों के नुमाइन्दों को एक जगह बैठकर तबादला–ए–ख़याल करने का मौक़ा हासिल होगा नीज़ हमारे नाशरीन, क़ारईन की पसंद और नापसंद से भी वाक़िफ हो सकेंगे और बाज़ार की ज़रूरतों से भी।

शिरकत का इस्तेहक़ाक़: इस किताब मेले में उर्दू के कुतुब फ़रोश, नाशरीन और तबाअत–व–इशाअत से मुतल्लिक़ दीगर सरकारी, तिजारती और ग़ैर सरकारी इदारे शिरकत कर सकते हैं। पहले मोसूल होने वाली दरख़्वासतों को तरजीह दी जायेगी।

किताबों की फ़रोख़्त: किताब मेले में किताबों और तालीमी सामान की फ़रोख़्त के लिए दर्जज़ैल शराएत होंगी।

1. किताब पर दर्ज असल क़ीमत पर कम से कम 10% कमीशन देना होगा।
2. आवाज़ लगाकर किताबें फ़रोख़्त करने की इजाज़त नहीं होगी।
3. वो किताबें या अशिया जिन पर हिन्दुस्तान में पाबंदी आयद है, उनकी नुमाइश या फ़रोख़्त की इजाज़त नहीं होगी।

इनमें से किसी भी शर्त की ख़िलाफ़ वरज़ी पर इजाज़त मनसूख़ कर दी जायेगी और स्टाल को बंद किया जायेगा।

स्टाल की बुकिंग: सही तौर पर भरे हुए फ़ार्म बैंक ड्राफ्ट (NCPUL के नाम) के साथ मौसूल होने पर स्टाल बुक किया जायेगा। स्टाल की जगह, नक़्शा और नम्बर काउन्सिल तय करेगी।

बीमा: हर चन्द कि मेले के दौरान पूरी एहतयात बरती जायेगी, लेकिन आग, बारिश, आँधी, हड़ताल या किसी और वजह से नुमाइश की किताबों के नुक़सान की ज़िम्मेदार काउन्सिल न होगी। लिहाज़ा मेले में नुमाइश के लिए लाई जाने वाली किताबों का बीमा करवा लेना शोरका के हक़ में बेहतर होगा।

फर्नीचर और बिजली: बिजली की रौशनी और उर्दू/इंगलिश में स्टाल का नाम, एक कुर्सी और एक मेज़ का खर्च किराए में शामिल है। दीगर सामान का इन्तेज़ाम शिरकत कुनिन्दगान को खुद करना होगा और इसका ख़र्च शिरकत कुनिन्दगान के ज़िम्मे होगा। स्टाल से बाहर पोस्टर, बैनर, मेज़ या कुर्सी लगाने की इजाज़त नहीं होगी।

मन्सूख़ी: क़ौमी काउन्सिल, उर्दू किताब मेले की तारीख़ों में रद्दो–बदल, इल्तवा या यकसर मनसूख़ करने की मजाज़ है। अगर किसी वजह से किताब मेला इफ़्तिताह से क़ब्ल मन्सूख़ करना पड़ा तो मुनासिब रक़म काट कर किराए की रक़म लौटा दी जायेगी। लेकिन अगर कोई शिरकत कुनिंदा स्टाल बुक करने के बाद किताब मेले में शरीक होना न चाहे तो किराया वापिस नहीं किया जायेगा। किसी भी तनाज़े या दावे से मुतअल्लिक़ क़ानूनी चाराजूई सिर्फ़ दिल्ली की अदालतों में ही की जा सकती है।

किराया फ़ी स्टाल: 3000 रूपये (3x3 metre)

फ़ार्म जमा करने की आख़री तारीख़ 31 अगस्त 2017 है।